कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा (म0प्र0)

—: कैन्टीन संचालन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना :—

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, जिला छिंदवाड़ा के अन्तर्गत, व्यवहार न्यायालय, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा एवं चौरई में कैंन्टीन संचालन हेतु निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। निविदा की शर्तो संबंधी निविदा प्रलेख राशि रूपये 100/— नगद जमा करने पर नजारत अनुभाग, छिंदवाड़ा से दिनांक 11.12.2018 की शाम 03:00 बजे तक कार्यालय समय पर प्राप्त किये जा सकेगें।

निविदा शर्तो के संबंध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 14.12.2018 की दोपहर 05:00 बजे तक कार्यालय जिला न्यायालय, छिंदवाड़ा में जमा कर सकते है। दिनांक 17.12.2018 को दोपहर 02:00 बजे निविदाकर्ता या निविदाकर्ता के प्रतिनिधि के समक्ष इस स्थापना में गठित समिति के द्वारा निविदा खोली जाएगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
छिंदवाड़ा (म0प्र0)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा (म0प्र0)
कैन्टीन संचालन हेतु निविदा फॉर्म एवं शर्तें
निविदा फार्म

प्रथम पक्ष :— निविदाकर्ता का नाम ....

पता :— ....

....

मोबाईल नं0 ....

प्रस्तावित अनुबंध राशि ....

द्वितीय पक्ष :— जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
छिंदवाड़ा

———0———

जिला छिंदवाड़ा के अन्तर्गत, व्यवहार न्यायालय, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा एवं चौरई स्थित केंटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ता से एक वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तो के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है :—

—: निविदा शर्तें :—

01. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदा दिनांक 14.12.2018 के सायंकाल 05 बजे तक स्वीकार की जावेगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

02. निविदाकर्ता एवं द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध एक वर्ष के लिये संपादित किया जाएगा। अनुबंध अनुसार कैन्टीन संचालन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर संचालन की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है।

03. तहसील जुन्नारदेव के व्यवहार न्यायालय परिसर में पूर्व से ही कैंटीन रूम बना हुआ है, जिसमें कैंटीन का संचालन होगा। तहसील अमरवाड़ा एवं चौरई के व्यवहार न्यायालय परिसर में कैंटीन रूम नहीं बना होने से, परिसर में ही 20 X 30 = 600 वर्गफीट की भूमि उपलब्ध कराई जावेगी, जिस पर निविदाकर्ता कैंटीन संचालन हेतु स्वयं के व्यय पर अस्थायी निर्माण करेगा।

04. द्वितीय पक्ष किसी भी समय व्यवहार न्यायालय जुन्नारदेव, अमरवाड़ा एवं चौरई में कैंटीन संचालन हेतु चयनित स्थल को परिवर्तित कर सकेगा। स्थल परिवर्तित होने की दशा में कैंटीन रूम के पुनर्निर्माण का व्यय निविदाकर्ता को वहन करना होगा।

05. कैंटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन का संचालन बंद किया जाता है, तो निविदाकर्ता को उसके द्वारा जमा की गई कोई राशि लौटाई नहीं जावेगी।

06. निविदाकर्ता को निविदा फॉर्म के साथ रूपये 5,000/— की जमानत राशि जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा।

07. प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन संचालन हेतु प्रथम वर्ष के लिए राशि रूपये 60,000/– की न्यूनतम अनुज्ञा शुल्क प्रस्तावित की जाती है। अनुज्ञा शुल्क निविदाकर्ता जिसके द्वारा अधिकतम प्रस्तावित किया जावेगा, अन्य शर्तो के अद्यधीन निविदा स्वीकार की जावेगी।

08. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम अनुज्ञा शुल्क अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे निविदाकर्ता के अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व अनुज्ञा शुल्क की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक 6 माह पूर्ण होने से 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

09. अधिकतम अनुज्ञा शुल्क की प्रस्तावित की गई राशि अंतिम होने की स्थिति में कैंटीन की वार्षिक अग्रिम के रूप में अदा करनी होगी, अन्यथा निविदा शर्तो का उल्लंघन होने पर अनुबंध निरस्त किया जाकर प्रथम पक्ष को कैंटीन संचालन हेतु रोक दिया जावेगा।

10. अनुबंध की शर्तो को प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के कैंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

11. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 के आदेशानुसार या अन्यथा जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तो में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।

12. कैंटीन के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तो के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का निराकरण जिला न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा, जिसका निर्णय/अवार्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगी।

13. निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नही करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति की क्षति कारित हो, अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।

14. निविदाकर्ता कैंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरूद्ध विधिवत् कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

15. प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार क आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेगें और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेगें और न ही करने देंगें और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कैंटीन अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

16. समय–समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैंटीन का निरीक्षण किया जा सकेगा।

17. निविदाकर्ता कैंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय–समय पर द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जावेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसर पर कैंटीन का संचालन आवश्यक रूप से किया जावेगा।

18. निविदाकर्ता कैंटीन के संचालन के दौरान उन्हें आबंटित स्थान में किसी भी प्रकार स्थाई निर्माण/संरचना नहीं किया जावेगा। निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन में कोई अस्थाई निर्माण, जो कि व्यवसाय संचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित करवाने के उपरान्त ही कर सकेगें, जो शासकीय संपत्ति की क्षति कारित करने वाला न हो, किन्हीं कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण के हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटाएगा।

19. निविदाकर्ता कैंटीन कक्ष का पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर निर्धारित अवधि के विद्युत देयक भुगतान करेगा।

20. कैंटीन दुकान के संचालन के लिए प्रथम पक्ष द्वारा ही मशीनों को रखा जावेगा तथा इस रख रखाव में हुए व्यय का वहन भी प्रथम पक्ष का ही होगा।

21. निविदाकर्ता कैंटीन दुकान का विधि अनुसार संबंधित नगरपालिका परिषद/नगर निगम से दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।

22. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र यदि उसने पूर्व में कैंटीन संचालन किया हो, उक्त अनुभव आदि की समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुए प्राथमिकता दी जा सकेगी।

23. निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दर द्वितीय पक्ष से अनुमोदित कराई जावेगी, ऐसी दर बाजार दर से अधिक नही होगी एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी।

24. विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैंटीन परिसर में सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।

25. निविदाकर्ता कैंटीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष द्वारा प्रति दिवस पॉच सौ रूपये की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

26. निविदाकर्ता अनावश्यक रूप से कैंटीन बंद नहीं रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा 1000/– रूपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

27. कैंटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

28. अनुबंध अवधि में जल संयोजन हेतु अनुमति पक्ष क्रमांक 2 द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी, जिसका व्यय निविदाकर्ता को ही वहन करना होगा।

39. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फॉर्म मे उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टॉम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।

30. कैंटीन जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित समय पर सामान्यतः प्रातः 09 बजे से सायं 07 बजे तक ही चलाई जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।

31. समिति द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तो का उल्लंघन करने/विवाद वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियो/पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा की कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा/उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा/निविदा निरस्त की जा सकेगी।

32. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा, द्वितीय पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा के अन्तर्गत की गई शर्तो में से किसी शर्त को परिवर्तित या परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।

33. सफल निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन की दुकान वाले भाग में स्वयं के व्यय पर रंगरोगन मरम्मत आदि का कार्य समय-समय पर किया जावेगा।

34. कैंटीन परिसर या उसका कोई भाग उपकिरायेदारी आदि पर या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

35. प्रथम पक्ष केंटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा तथा व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग कर अन्य सुसंगत विधियों जैसे श्रम विधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।

36. कैंटीन के अंदर किसी भी मादक पदार्थ अथवा द्रव्यों/धूम्रपान/पान/तम्बाकू/बीडी/सिगरेट आदि का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

निविदा दिनांक 17.12.2018 को दोपहर 02.00 बजे कमेटी द्वारा खोली जावेगी, जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते है।

मुझे निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार है।

निविदा (प्रथम पक्ष)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
छिंदवाड़ा (म0प्र0)

प्रारूप अनुमोदित

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिंदवाड़ा